

**राजस्थान सरकार**  
**वित्त (व्यय-2) विभाग**

**विषय :-**अधीनस्थ विभागों में निजी सचिव संवर्ग के स्वीकृत पदों के पुनर्गठन किये जाने हेतु संशोधित नोर्मस निर्धारित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत अधीनस्थ विभागों में निजी सचिव संवर्ग के वर्तमान में स्वीकृत पदों का पुनर्गठन किये जाने हेतु निम्नानुसार नोर्मस निर्धारित किये जाते हैं:-

क.सं	पदनाम	पे-लेवल (ग्रेड-पे)	प्रतिशत	संशोधित प्रतिशत
1	वरिष्ठ निजी सचिव	L-16 GP-6600	3	4.3
2	निजी सचिव	L-15 GP-6000	9	10.0
3	अति. निजी सचिव	L-12 GP-4800	17	17.0
4	निजी सहायक-प्रथम	L-11 GP-4200	24	24.0
5	निजी सहायक-द्वितीय	L-12 GP-3600	47	44.7
	<b>योग</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

विभागों में स्वीकृत 01.04.2023 की पदों की स्थिति के अनुसार पुनर्गठन किया जायेगा, साथ ही विभाग द्वारा पुनर्गठन आदेश जारी किये जाने की तिथि से ही पुनर्गठन प्रभावी होगा। पुनर्गठन से सम्बन्धित अन्य सभी शर्तें एवं मानदण्ड वित्त (व्यय) विभाग के अशा.टीप.कमांक FD/E-2/कार्मिक / (5) / 2022-23 दिनांक 04.10.2022 के अनुसार ही रहेंगे।

उपरोक्तानुसार प्रशासनिक विभागों को दिनांक 01.04.2023 के अनुसार सूचना प्राप्त कर, मंत्रालयिक संवर्ग के पदों का पुनर्गठन करने हेतु निर्देशित किया जाता है। यह वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी.संख्या 162301684 दिनांक 02.10.2023 से माननीय मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय से अनुमोदित है।



(नरेश कुमार ठकराल)  
शासन सचिव,  
वित्त (व्यय) विभाग

संयुक्त शासन सचिव,  
वित्त (व्यय-1,2,3,4,5) विभाग

अशा.टीप.कमांक FD/E-2/कार्मिक / (5) / 2023-24  
जयपुर, दिनांक 04.10.2023